डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0 / 3631 / 2024

दिनांक 8 / 8 / 2024

सेवा में,

प्राचार्य,

PT. SRI JAGANNATH PRASAD MAHAVIDHYALAYA,

DABRAI, SAMSHABAD, AGRA

(कालेज कोड़–061)

विषयः–महाविद्यालय में नवीन स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महाविद्यालय शासन के पोर्टल के माध्यम बी0कॉम0 स्नातक पाठ्यक्रम में सत्र 2023 से आगामी तीन वर्षों (दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2026 तक) हेतु सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गयी की गयी थी। शिक्षक अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय समय–समय पर सूचना प्रेषित करता रहा है। परन्तु महाविद्यालय द्वारा इतना समय व्यतीत होने के उपरान्त भी शिक्षक अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त नही किये गये हैं। यह कृत महाविद्यालय संचालन में लापरवाही का घोतक है एवं शासन / विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना है।

अतः उपरोक्तानुसार महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिन में शिक्षक अनुमोदन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर पत्रावली अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में किसी भी कार्यवाही के लिये महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

साथ ही सत्र 2023 से महाविद्यालय का संचालन एवं पठन–पाठन का कार्य कैसे और किन शिक्षकों से कराया जा रहा है के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या 02 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

08/8/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. प्रवेश समन्वयक।
3. प्रभारी, कुलपति सचिवालय–मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की सूचना महाविद्यालय की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव